उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या- 75@2016/1894/92-2-2016-65जॉच/2016
लखनऊ :: दिनांक:: 25 नवम्बर, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग,प्रखण्ड-प्रतापगढ में महत्वपूर्ण योजनाओं के क्रियान्वयन में अपने अधीनस्थ कार्यो एवं कार्मिकों पर नियंत्रण न रखने, उच्चाधिकारियों के निर्देशों का अनुपालन न करने, उ0प्र0 शासन द्वारा परिचालित दिशा-निर्देशों, आदेशों व वित्तीय नियमों का अनुपालन न करने तथा अधिशासी अभियंता के रूप में सौपे गये दायित्वों एवं कर्तव्यों का निर्वहन न करने के लिये प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर श्री पी0के0 त्रिवेदी, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-प्रतापगढ् (सम्प्रति निलम्बित) के विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम-7 के अंतर्गत आरोप देकर अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये प्रकरण की जॉच हेतु मुख्य अभियंता (पू0क्षे0), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को पदेन जॉच अधिकारी नामित किये जाने की श्री राज्यपाल संहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- जॉच अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि विधिवत जॉच कार्यवाही पूर्ण कर जॉच आख्या (दो प्रतियों में) एक माह में शासन में उपलब्ध करायें।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

सुरेश चन्द्रा
प्रमुख सचिव।

संख्या- 75/2016/1894(1)/92-2-2016 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को उनके पत्र सं0-जी-865/ग्रा0अ0वि0/स्था0-1/2016-17 दिनांक 07-10-2016 के संदर्भ में इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत अनुशासनिक कार्यवाही में आरोप पत्र गठित कर शासन में तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2- जॉच अधिकारी/मुख्य अभियंता(पू0क्षे0), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3- मुख्य अभियंता (पू0क्षे0) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
4- श्री पी0के0 त्रिवेदी, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रा0अभि0वि0,प्रखण्ड-प्रतापगढ(सम्प्रति निलम्बित) द्वारा-निदेशक एवं मुख्य अभियंता,ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5- अनुसचिव, ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बाबूराम)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in